वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(803)/2022-PD

Dated 23.02.2022

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/ . Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 19030/4/2020-ई.IV दिनांक 24.01.2022 Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. 19030/4/2020-E.IV dated 24.01.2022	केन्द्र सरकार की सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्ति हेतु रियायतें - यात्रा भत्ते की अदायगी । Concessions to person re-employed in Central Government service- Payment of Travelling Allowance.

भवदीय/Yours faithfully,

23 Feb 2022

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति/ M. Arun Manikanda Bharathi)
अवर सचिव / Under Secretary (Policy Division)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division - with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं.19030/4/2020-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 24 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार की सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्ति हेतु रियायतें-यात्रा भत्ते की अदायगी।

उपर्युक्त विषय पर, अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 10.02.2012 के का.ज्ञा. सं. 19030/6/2010-ई IV का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों में ढील देने के लिए इस विभाग में प्राप्त कई संदर्भों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुनः विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार में पुनर्नियोजित व्यक्तियों के संबंध में यात्रा भत्ते (अर्थात् स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता, संयुक्त स्थानांतरण अनुदान, निजी सामान का परिवहन और वाहन का परिवहन) की स्वीकार्यता को निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएः

(i) जहाँ, पेंशनभोगी पुनर्नियोजित किया गया हो और पुनर्नियोजित पेंशनभोगी द्वारा पहले ही उस कार्यालय/संगठन, जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ है/अधिवर्षिता को प्राप्त हुआ है, से सेवानिवृत्त संबंधी यात्रा भत्ते का दावा किया गया होः

(क) ऐसी नियुक्ति के लिए उसे यात्रा भत्ता अनुमत किया जाएगा, यदि ऐसी नियुक्ति अधिवास स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर की गई हो अथवा ऐसी नियुक्ति के लिए अधिवास स्थल के निवास में परिवर्तन आवश्यक हो।
(ख) उसकी पुनर्नियोजन की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे यात्रा भत्ता देय होगा।
(ग) दोनों मामलो में, यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति उस कार्यालय/संगठन द्वारा की जाएगी, जहां पर पेंशनभोगी को पुनर्नियोजित किया गया है।

(ii) यदि, पुनर्नियोजित पेंशनभोगी ने सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के अंदर नहीं किया है और उसे केन्द्र सरकार के तहत, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पहले पुनर्नियोजत किया गया हैः

(क) उसे ऐसी नियुक्ति के लिए यात्रा भत्ता अनुमत किया जाएगा, यदि ऐसी नियुक्ति, ड्यूटी के अलावा किसी अन्य स्थान पर की गई हो अथवा ऐसी नियुक्ति के लिए ड्यूटी के पिछले स्थान के निवास में परिवर्तन आवश्यक हो।
(ख) उसकी पुनर्नियोजन की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे यात्रा भत्ता देय होगा।
(ग) ऐसी नियुक्ति के कार्यग्रहण करने पर होने वाले यात्रा भत्ते का खर्च उस संगठन द्वारा वहन किया जाएगा, जहां से उक्त पेंशनभोगी सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता को प्राप्त हुआ हो तथा यह उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के अनुसार होगा। पुनर्नियोजन की अवधि पूरी होने पर यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति उस कार्यालय/संगठन द्वारा की जाएगी, जहाँ पेंशनभोगी को पुनर्नियोजित किया गया है।

(iii) केन्द्र सरकार के अलावा किसी पुनर्नियोजित व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में, उसे यात्रा भत्ता ऊपर पैरा-1(i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

2. उपर्युक्त मामलों में यात्रा भत्तों की स्वीकार्यता निम्नलिखित के अध्यधीन होगीः-

(i) यात्रा भत्ते की हकदारी, अंतिम समय में धारित पद तथा सेवानिवृत्ति के समय केन्द्र सरकार के तहत आहरित अंतिम वेतन के संदर्भ में होगी। केन्द्र सरकार के अलावा किसी पुनर्नियोजित व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में यात्रा भत्ते की हकदारी, केन्द्र सरकार में दिए गए के पद की समतुल्यता के अनुरूप होगी।

(ii) लोक हित में स्थानांतरण के संबंध में सरकारी अधिकारियों के लिए यथास्वीकार्य यात्रा भत्ता नियमों के एसआर-116 के उपबंध, समय-समय पर यथा-संशोधित, लागू होंगे।

3. यह आदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। पूर्व मामले, जिनका पहले निस्तारण हो गया है, फिर से नहीं खोले जाएंगे।

4. इसे वित्त सचिव एवं सचिव(व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
निदेशक

सेवा में,

1. **भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।**
2. **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।**
3. **सभी वित्तीय सलाहकार।**

No. 19030/4/2020-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

North Block, New Delhi
Dated 24th January, 2022.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Concessions to person re-employed in Central Government service- Payment of Travelling Allowance.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 19030/6/2010-E.IV dated 10.02.2012 on the subject mentioned above. In view of several references being received in this Department for relaxation of the conditions mentioned in the above said OM, the matter has been re-considered and it has been decided to regulate admissibility of Travelling Allowance (i.e. TA for self and family members, Composite Transfer Grant, transportation of personal effects and transportation of conveyance) in r/o persons re-employed in Central Government in the following manner:

(i) Where the pensioner is re-employed and TA on retirement has already been claimed by re-employed pensioner from the office/organization from where he has retired/ superannuated:

(a) TA shall be allowed to him for such appointment if such appointment is made at station other than place of settlement or such appointment necessitates change of residence at place of settlement.
(b) TA shall also be allowed to him after completion of his term of re-employment.
(c) In both cases, the TA would be reimbursed by the office/organization where the pensioner is re-employed.

(ii) In case the re-employed pensioner has not claimed TA on retirement within one year of his retirement and he is re-employed under the Central Government before the expiry of one year from the date of retirement:

(a) TA shall be allowed to him for such appointment in case such appointment is made at station other than last station of duty or such appointment necessitates change of residence at last station of duty.
(b) TA shall also be allowed to him after completion of his term of re-employment.
(c) The expenditure for TA on joining such appointment shall be borne by the organization from where the pensioner is retired/superannuated with reference to the post held at the time of retirement. On completion of term of re-employment, the TA would be reimbursed by the office/organization where the pensioner is re-employed.

(iii) In case of appointment of a re-employed person from other than Central Government, TA shall be allowed to him as per the provision at Para 1 (i) above.

2. Admissibility of TA in above cases would be subject to the following :-

(i) The entitlement for TA would be w.r.t. the post last held and the last pay drawn under the Central Government at the time of retirement. In case of appointment of a re-employed person from other than Central Government, the entitlement of TA would be in accordance with the equivalence given to the post in Central Government.

(ii) The provisions of SR-116 of the TA rules as admissible to Government officials on transfer in public interest, as modified from time to time, would be applicable.

3. This order shall be effective from date of issuance of this O.M. Past cases already settled would not be re-opened.

4. This is issued with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

(Nirmala Dev)
Director

To,

1. **All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard Mailing List)**
2. **O/o C&AG, UPSC etc. (as per standard endorsement list)**
3. **All Financial Advisors.**